

बिहार कर्मचारी चयन आयोग
पो0-वेटनरी कॉलेज, पटना-14

माननीय उच्च न्यायालय में आयोग का पक्ष रखने/तथ्य विवरणी तैयार करने के लिए नये
पैनल निर्माण से संबंधित आवश्यक सूचना।

ज्ञापांक:- 2607/2024

दिनांक:- 13/8/24

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वादों में आयोग का पक्ष रखने/तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु सुयोग्य, अनुभवी, Advocate on Record धारक एवं पंजीकृत सुविज्ञ अधिवक्ताओं से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन प्रपत्र, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं अन्य शर्तें आयोग के वेबसाईट <http://bssc.bih.nic.in> पर उपलब्ध है। इच्छुक अधिवक्ता आयोग के वेबसाईट से आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर अपना आवेदन सभी वांछित कागजात के साथ निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पो0-वेटनरी कॉलेज कैम्पस, पटना-800014 के पते पर दिनांक-20.08.2024 से दिनांक-05.09.2024 तक भेजा जा सकता है। दिनांक-05.09.2024 को कार्यावधि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।


13/08/2024
सचिव

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।

बिहार कर्मचारी चयन आयोग

पो0-वेटनरी कॉलेज, पटना-14

माननीय उच्च न्यायालय में आयोग का पक्ष रखने/SOF तैयार करने हेतु अधिवक्ताओं के पैनल निर्माण से संबंधित आवश्यक शर्त।

ज्ञापांक:- 2107/मप

दिनांक:- 13/08/24

माननीय उच्च न्यायालय, पटना में आयोग का पक्ष रखने/तथ्य विवरणी बनाने हेतु सुविज्ञ एवं AOR धारक अधिवक्ताओं के विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

शैक्षणिक योग्यता- कम से कम विधि स्नातक।

अनुभव:-

तथ्य विवरणी/SOF हेतु		पक्ष रखने हेतु	
(i)	10 वर्षों का विभिन्न विभाग/आयोग/संस्था/निकाय/उच्च न्यायालय में SOF बनाने का कम से कम 10 (दस) वर्षों का अनुभव।	(i)	पटना उच्च न्यायालय, पटना में 10 वर्ष प्रैक्टिस का अनुभव।
		(ii)	AOR धारक

इच्छुक अधिवक्ता अपना आवेदन सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के पदनाम से निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस प्रकार भेजे कि वह दिनांक:-20.08.2024 से दिनांक-05.09.2024 तक प्राप्त हो जाए।

आवश्यक शर्त:-

1. नये पैनल निर्माण में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
2. पैनल की अवधि दो वर्षों की होगी। पैनल अवधि एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण/परिवर्तित करने का अधिकार आयोग का होगा।
3. गुणवत्तापूर्ण तथा विवरणी तैयार करने के लिए वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3882/वी0, दिनांक-03.05.2023 द्वारा स्वीकृत दर के अनुसार प्रति तथ्य विवरणी रूपये-2000/- + टंकण हेतु रूपये-500/- =कुल राशि रूपये-2500/- का भुगतान किया जाएगा।
4. दर के संबंध में आयोग का निर्णय प्रभावी होगा।
5. पैनल निर्माण के लिए समर्पित अभ्यावेदन में अधिवक्ता का AOR No. एवं बेंच क्लर्क का नाम एवं Registration No. अंकित करना अनिवार्य होगा।
6. आवश्यक संचिका/कागजात/तथ्य विवरणी बनाने अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में पक्ष रखने हेतु आयोग कार्यालय से स्वयं या बेंच क्लर्क के माध्यम से प्राप्त करना होगा तथा SOF बनाकर स्वयं या अपने बेंच क्लर्क के माध्यम से आयोग कार्यालय को प्राप्त कराना होगा।
7. प्रत्येक माह के बाद साक्ष्य सहित विपत्र सहित आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।


13/08/2024

सचिव

† बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।



बिहार कर्मचारी चयन आयोग
पो0-वेटनरी कॉलेज, पटना-14

माननीय उच्च न्यायालय में आयोग का पक्ष रखने/SOF तैयार करने हेतु अधिवक्ताओं के पैनल निर्माण से संबंधित आवश्यक शर्त।

ज्ञापांक:- 2607/अर

दिनांक:- 13/08/24

माननीय उच्च न्यायालय, पटना में आयोग का पक्ष रखने/तथ्य विवरणी बनाने हेतु सुविज्ञ एवं AOR धारक अधिवक्ताओं के विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

शैक्षणिक योग्यता- कम से कम विधि स्नातक।

अनुभव:-

तथ्य विवरणी/SOF हेतु		पक्ष रखने हेतु	
(i)	10 वर्षों का विभिन्न विभाग/आयोग/संस्था/निकाय/उच्च न्यायालय में SOF बनाने का कम से कम 10 (दस) वर्षों का अनुभव।	(i)	पटना उच्च न्यायालय, पटना में 10 वर्ष प्रैक्टिस का अनुभव।
		(ii)	AOR धारक

इच्छुक अधिवक्ता अपना आवेदन सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के पदनाम से निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस प्रकार भेजे कि वह दिनांक:-20.08.2024 से दिनांक-05.09.2024 तक प्राप्त हो जाए।

आवश्यक शर्त:-

- नये पैनल निर्माण में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- पैनल की अवधि दो वर्षों की होगी। पैनल अवधि एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण/परिवर्तित करने का अधिकार आयोग का होगा। आवश्यकतानुसार आयोग से अनुमोदन प्राप्त कर अवधि विस्तार किया जा सकता है।
- पैनल निर्माण के लिए समर्पित अभ्यावेदन में अधिवक्ता का AOR No. एवं बेंच क्लर्क का नाम एवं Registration No. अंकित करना अनिवार्य होगा।
- आवश्यक संचिका/कागजात/तथ्य विवरणी बनाने अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में पक्ष रखने हेतु आयोग कार्यालय से स्वयं या बेंच क्लर्क के माध्यम से प्राप्त करना होगा तथा SOF बनाकर स्वयं या अपने बेंच क्लर्क के माध्यम से आयोग कार्यालय को प्राप्त कराना होगा।
- प्रत्येक माह के बाद साक्ष्य सहित विपत्र सहित आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

सचिव

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।

13/8/24

13/8/24

13/8/24


आयोग का पक्ष रखने/तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु आवेदन का विहित प्रपत्र

सेवा में,

सचिव,

बिहार कर्मचारी चयन आयोग,

पो0-भेटनरी कॉलेज, पटना-14



1. आवेदन करने वाले अधिवक्ता का नाम :-
2. आवेदन करने वाले अधिवक्ता का मोबाईल नम्बर :-
3. आवेदन करने वाले अधिवक्ता के पिता/पति का नाम:-
4. आरक्षण कोटि:-
5. जन्म तिथि:-
6. शैक्षणिक योग्यता:-
- (विधि संबंधी)
7. अधिवक्ता के AOR (वर्ष सहित):-
8. लिपिक का नाम एवं मोबाईल नम्बर
9. माननीय उच्च न्यायालय, पटना में प्रैक्टिस करने की अवधि (प्रत्येक वर्ष के लिए कम से कम एक वाद के साक्ष्य के साथ):-
10. आयोग में आवेदन करने का प्रयोजन (i) SOF तैयार करने हेतु.....
(ii) माननीय उच्च न्यायालय में पक्ष रखने हेतु.....
(iii) उपर्युक्त दोनों कार्य हेतु.....
11. प्रतिवर्ष औसत वादों की संख्या जिनमें आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में पक्ष रखा गया है:-
12. भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र एवं राज्य सरकार के उपक्रम/सरकारी निकाय से संबंधी कार्य का साक्ष्य (यदि हो):-
13. स्थायी पता:-
14. पत्राचार का पता:-
15. फोन/मोबाईल नम्बर/email :-
- एतद् द्वारा मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त में दी गयी सभी सूचनाएँ सही है।
तिथि.....
स्थान.....

• आवेदन करने वाले अधिवक्ता का हस्ताक्षर